

प्रेस नोट

थाना - पिलखुवा दिनांक 18.02.2025

थाना पिलखुवा पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए छिजारसी टोल प्लाजा की बैरिकेडिंग तोडने की घटना में संलिप्त कार चालक को अल्प समय में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 18.02.2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कार सवार व्यक्ति थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत स्थित छिजारसी टोल प्लाजा की बैरिकेडिंग को अपनी कार से तोड़कर फरार हो गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार चालक की पहचान कराई गई तो उसकी पहचान निक्की उर्फ नरेश पुत्र गोपाल निवासी ग्राम गालन्द थाना पिलखुवा जनपद हापुड के रूप में हुई।

कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत छिजारसी टोल प्लाजा की बैरिकेडिंग तोड़ने की घटना में संलिप्त कार चालक को अल्प समय में छिजारसी टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में



प्रयुक्त कार बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

निक्की उर्फ नरेश पुत्र गोपाल निवासी ग्राम गालन्द थाना पिलखुवा जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त स्कोर्पियो कार रजि0 नं0 UP 14 FC 8007

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1. मु0अ0सं0 184/2018 धारा 147,148,323,427,506 भादवि थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
- 2. मु0अ0सं0 228/2023 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।
- 3. मु0अ0सं0 518/2021 धारा 323, 427, 504, 506 भादवि थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
- 4. मु0अ0सं0 587/2023 धारा 307, 323, 504, 506 भादवि थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।
- 5. मु0अ0सं0 641/2021 धारा 147, 148, 149, 323, 332, 353, 427, 504, 506 भादवि व
- 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियमव 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. उ0नि0 श्री रमेश चन्द गौतम थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
- 2. है0का0 184 भगत सिंह थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
- 3. है0का0 270 राहुल कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।